मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 1, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2 . पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2011-12 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2012 के लिये) पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जसवन्त सिंह हाड़ा, सदस्य, शाजापुर जिले के शुजालपुर से सारंगपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गन्ना उत्पादक कृषकों को शासन से अपेक्षित सहयोग न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमंग सिंघार, सदस्य, धार जिले के -
- (क) ग्राम घोटियादेव में विद्युत ग्रीड स्थापित किये जाने,
- (ख) ग्राम नरवाली में विद्युत ग्रीड स्थापित किये जाने,
- (ग) ग्राम नरवाली के शा.मा. स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम धावड़ियापुरा में आनाज गोदाम बनाये जाने,
- (ङ) ग्राम बयड़ापुरा में तालाब बनाये जाने,
- (च) ग्राम बयड़ापुरा में 63 के.व्ही. डी.पी. स्थापित कर बिजली सप्लाई किये जाने,
- (छ) जीराबाद डेम से मल्हेरा तक नहर का पानी लाये जाने, तथा
- (ज) ग्राम कनेरी सुजानपुरा से गंधवानी तक ऊरी नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(2) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के -
- (क) कालादेवता के पास तालाब स्वीकृत किये जाने,
- (ख) ग्राम बकान्या में तालाब स्वीकृत किये जाने,
- (ग) ग्राम रायपुरा तेलीखो में तालाब स्वीकृत किये जाने,
- (घ) ग्राम खानपुरिया के तालाब का गहरीकरण किये जाने,
- (ङ) ग्राम पैंची के शा.हा. स्कूल को हायर सेकेन्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (च) ग्राम बरखेड़ा के शा.हा. स्कूल को हायर सेकेन्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (छ) ग्राम महुआपुरा के आंगनवाड़ी भवन निर्माण किये जाने,
- (ज) ग्राम रतोधना के शा. तालाब का गहरीकरण किये जाने,
- (झ) ग्राम आलमपुरा के टेम नदी पर स्टाप डेम कम रपटा स्वीकृत किये जाने,
- (ञ) ग्राम नसीरपुरा के शा. हा. स्कूल को हायर सेकेन्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ट) ग्राम सोनाहेड़ा, सिंगापुरा तक ए.बी. रोड़ निर्माण किये जाने,
- (ठ) ग्राम बुद्धसिंह का पुरा में आंगनवाड़ी स्वीकृत किये जाने,
- (ड) ग्राम कोटरा में नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,
- (ढ) ग्राम पाखरियापुरा ए.बी. रोड़ से बोरदा तक रोड़ निर्माण किये जाने,तथा
- (ण) ग्राम बोरदा मानपुरा से कन-कन नेहरू तक नहर बनाये जाने,

(3) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
- (क) लमेरा मुख्य सड़क से हरपुरा तक पक्की सड़क बनाये जाने,
- (ख) ग्राम भेल्सी में नल-जल योजना को शीघ्र प्रारंभ किये जाने,
- (ग) ग्राम गोरा के सूर्य मंदिर को पुरातत्व विभाग की देख-रेख में किये जाने,तथा
- (घ) ग्राम कोटरा में सुलभ शौचालय भवन बनाये जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के –
- (क) ग्राम सेमल्दा से चकनासीरपुरा तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ निर्माण किये जाने,
- (ख) बडोदा नगर में स्टेडियम का शीघ्र निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम चिमलका को शीघ्र आबादी ग्राम घोषित किये जाने,
- (घ) ग्राम आमल्दा में पंचायत भवन निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम आमल्दा में उप स्वा. केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
(च) ग्राम इन्द्रपुरा में आदिवासी बस्ती में डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ बनाये जाने, तथा
(छ) बड़ोदा मुख्यालय के नालों को व्यवस्थित किये जाने,

(5) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के –
(क) ग्राम लखनपुर से सुरेखा तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,
(ख) पाटन तह. अंतर्गत मिडिल स्कूल मुआरा को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम लखनपुर से लाहोद मोड़ तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम मुरेठ में हिरन नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम गठोरा मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(6) श्री नारायण सिंह पवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के –
(क) ग्राम गांगाहोनी के शा. हा. स्कूल को हायर सेकेन्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(ख) सुठालिया नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किये जाने,
(ग) ग्राम सालरियाखेड़ी के प्राथमिक माध्यमिक तथा हाई स्कूल की संयुक्त बाउन्ड्री वाल बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम सालरियाखेड़ी के शा.हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(7) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के –
(क) नेवज नदी पर पुल का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) लपरी नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,

(8) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, बड़वाह जिले के –
(क) ग्राम सताजना से नीलकंठ तक मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम कातोरा से वकावा तक मार्ग का निर्माण किये जाने,

(9) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के –
(क) ग्राम श्रीपलपुरा में कालिसिंध नदी पर बांध का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम पानखेड़ी से ठिकरिया तक सी.सी. रोड़ निर्माण किये जाने,

(10) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम किटाना को ग्राम नीमडाड़ा में जोडे जाने,

(11) श्री राजेश सोनकर, सदस्य, इन्दौर जिले के ग्राम बरलाई से धरमपुरी पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा

(12) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले में सोन नदी पर पीपा पुल का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

8. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. "सदन का यह मत है कि 12160 जबलपुर से अमरावती सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर के स्थान पर कटनी से चलाया जाये तथा 12159 अमरावती जबलपुर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को अमरावती से कटनी तक चलाया जाये.".

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल से उदयपुर एवं उदयपुर से भोपाल व्हाया चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाये. ".

(3) श्री राम लल्लू बैस, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. "सदन का यह मत है कि पूर्व मध्य रेल्वे जोन में सम्मिलित जिला सिंगरौली के स्टेशन करैला रोड़ सिंगरौली, महदैइया, को प.म.रेल्वे जोन जबलपुर में सम्मिलित किया जाये. ".

(4) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जिला उज्जैन में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित आकाशवाणी केन्द्र में आवश्यक कर्मचारियों/ अधिकारियों की पदस्थापना कर शीघ्र प्रारंभ किया जाये.".

(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा रतलाम जिले के जावरा शहर में रेल्वे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज निर्माण हेतु बजट में प्रावधान कर बीच के हिस्से के ब्रिज का शीघ्र निर्माण करने हेतु रेल मंत्रालय से आग्रह किया जावे.".

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 19 फरवरी, 2015